निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :105/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कैलाश पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. गजानन्द पुत्र श्री भींवाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिरस्या दांतली, जयपुर राजस्थान।
2. श्रीमती तीजा देवी पत्नी नारायण
3. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी नारायण
4. प्रियंका पुत्री नारायण
5. शान्ति देवी पुत्री नारायण
6. सियाराम पुत्र नारायण

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ग्रामीण ।

7. राम सहाय पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम थली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ग्रामीण ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण।
9. उप पंजीयक चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण ।
10. श्री शिव चरण शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 285/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 186/2021 ब उनवानी कैलाश बनाम गजानन्द व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री कालूसिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुभाष निठारवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ओर से ।

निर्णय दिनांक 08.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 285/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 186/2021 ब

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

उनवानी कैलाश बनाम गजानन्द व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष निठारवाल ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 7 के प्रभाव व राजनैतिक दबाव की वजह से प्रार्थी को मात्र 2 दिन की तारीख पेशी दी गई जिसमें प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रार्थी के साथ न्याय नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 1 व 7 तथा 10 के आचारण व व्यवहार से प्रार्थी को कतई विश्वास नहीं है कि वो मामले का न्यायिक रूप से बिना किसी पक्षपात के निर्णय पारित करेंगे। ऐसी सूरत में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थी अपने हक व हकूकों से महरूम हो जायेगा एवं प्रार्थी मिलने वाले न्याय से महरूम हो जायेगा। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 285/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 186/2021 ब उनवानी कैलाश बनाम गजानन्द व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 11.11.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर मुताबिक फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)